

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक...../

पटना, दिनांक.....

सं० सं०-०५/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) ०१/२०१७

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

द्वारा :-

वित्त विभाग।

विषय :-

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या २३ के मुख्यशीर्ष-२८५१ ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष ००, लघुशीर्ष १०७ रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या २३, उपशीर्ष ०००१ रेशम का विकास, विपत्र कोड २३-२८५१.००.१०७.०००१ विषय शीर्ष ०००१.१३.१० भाड़े की गाड़ी का भुगतान में रू० ३,९९,०००/- (तीन लाख नानावें हजार रूपये) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :-

बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड-I के नियम ४८९ के अन्तर्गत स्वीकृत।

२-

राशि का विकलन मुख्यशीर्ष-२८५१ ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष ००, लघुशीर्ष १०७ रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या २३, उपशीर्ष ०००१ रेशम का विकास, विपत्र कोड २३-२८५१.००.१०७.०००१ विषय शीर्ष ०००१.१३.०२ वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में रू० ३,९९,०००/- (तीन लाख नानावें हजार रूपये) मात्र बचत की राशि से विकलित होगा।

३-

इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना/पूर्णिमा/भागलपुर/मुजफ्फरपुर तथा परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, सहरसा/मुशहरी, मुजफ्फरपुर/ढेकसरा, किशनगंज/लकड़ी कोला, बांका/राधोपुर-बखरी, सीतामढ़ी/फरीदपुर, सीवान/कुमारबाग, बेटिया/रानीपोखर, वैशाली होंगे।

४-

राशि की निकासी राज्य के विभिन्न जिला कोषागारों एवं उप कोषागारों से की जाएगी।

५-

प्रस्ताव में प्रधान सचिव, वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या ०५/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) ०१/२०१७ के पृष्ठ १७/टि० पर दिनांक ०९.११.१७ को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या ३१९० है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

ज्ञापांक

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित राज्य के विभिन्न जिला कोषागारों एवं उप कोषागारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक 610 /

पटना, दिनांक 16.02-18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव, वित्त विभाग/उप सचिव, बजट शाखा, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा-01(स0), उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग निदेशालय/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय/ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय/आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

13

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त उपबंध अपेक्षित है।

मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851.00.107.0001

शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है।

मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851.00.107.0001

विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित व्यय	अपेक्षित अतिरिक्त उपबंध	कुल उपबंध जो जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तत्काल लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यार्पित राशि	कुल उपबंध जो घटाने के बाद रहेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	0	1000	400000	399000	400000	0001.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	400000	400000	1000	399000	1000
योग				399000		योग				399000	

टिप्पणी

- (क) स्तम्भ-1 और 7 में ऐसे उप शीर्ष/विषय शीर्ष दिखाए जायें जिससे इकाई संबंधित हो।
 (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाईयाँ में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ 3 और 9 में ऑकड़े पीठ पर अंकित किया जाय।
 (ग) स्तम्भ 6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाय।
 (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के ऑकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।

नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अतिरिक्त पुनर्विनियोग के लिए आवेदन पत्र

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851.00.107.0001 विषय शीर्ष 0001.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान में रू0 3,99,000/- (तीन लाख निनानवें हजार रुपये) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

2- प्रस्तावित पुनर्विनियोग के संबंध में स्पष्टीकरण :-

राज्य के विभागीय कार्यालयों में चल रहे भाड़े के वाहनों के भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851.00.107.0001 विषय शीर्ष 0001.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851.00.107.0001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0001.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव से कुल रू0 3,99,000/- (तीन लाख निनानवें हजार रुपये) मात्र बचत राशि को प्रत्यर्पित करने का प्रस्ताव है।

3- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना/पूर्णिया/भागलपुर/मुजफ्फरपुर तथा परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, सहरसा/मुशहरी, मुजफ्फरपुर/ढेकसरा, किशनगंज/लकड़ी कोला, बांका/राघोपुर-बखरी, सीतामढ़ी/फरीदपुर, सीवान/कुमारबाग, बेतिया/रानीपोखर, वैशाली होंगे।

4- पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यर्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण यदि कुछ हो :-

पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण ऊपर कंडिका 2 में अंकित है। चालू वित्तीय वर्ष से नये विषय शीर्ष 0001.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान के शुरू होने के कारण भाड़े के वाहनों का भुगतान विषय शीर्ष 0001.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में उपबंधित राशि से नहीं किया जा सकता।

5- स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अंतर हो तो उसका स्पष्टीकरण :-

(क) स्तम्भ 2 एवं 3 में अंतर रू0 1000/- B.C.F से टोकन के रूप में प्रस्तावित।

(ख) स्तम्भ 8 एवं 9 में अंतर शून्य।